न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 28/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— मुखराम पुत्र श्री चेतराम नायक जाति नायक निवासी 1 बी.एच.एम. चक चेतरामवाला सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर जरिये राजकीय अभिभाषक।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री सुरेश मोहता — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 20.11.2018

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.08.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पिता श्री चेतराम पुत्र श्री जीवनराम के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 39/70, जिसका ओएस नं. 27/07 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज शस्त्र एनपी बोर राईफल 213927 को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र लेने बाबत वृद्धावस्था प्रकरण में दिनांक 6.7.2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर नियमानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गयी । अपीलांट के पिता का दिनांक 1.11.13 देहावसान हो जाने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 6.2.14 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वृध्द प्रकरण से मृतक प्रकरण में हस्तान्तरण हेतु निवेदन कियागया । इस संबंध में पुनः जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार, सूरतगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 972 दिनांक 08.05.14 को प्रेषित की है, जिसमें आवेदक को मृतक प्रकरण में लाईसेंस

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिया जाना अनुचित बताया गया । प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के विपरीत प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 की शर्ते पूर्ण नहीं होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री सुरेश मोहता का मुख्य कथन है कि अपीलांट के पिता श्री चेतराम के द्वारा वृद्ध प्रकरण के तहत अपने पुत्र मुखराम के नाम शस्त्र अनुज्ञा पत्र बनाने व शस्त्र दर्ज करने का आवेदन किया गया, जिसमें प्रार्थी के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सुरक्षा, राज. जयपुर से दिनांक 20.1.2012 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है, किन्तु अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी विशा जोन, श्रीगंगानगर द्वारा शस्त्र सिखलाई व रख रखाव हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के आधार पर विपरीत रिपोर्ट वर्ष 2012 में दी। तत्पश्चात् प्रकरण लम्बे समय तक बिना किसी कार्यवाही के पैण्डिग पड़ा रहा। श्री चेतराम की दिनांक 01.11.20103 को मृत्यु हो जाने पर अपीलांट मुखराम ने स्वंय के वारिस पुत्र होने के आधार पर आवेदन किया, जिसके समर्थन में मीरादेवी पत्नि चेतराम, चन्दोदेवी पुत्री चेतराम का व स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शस्त्र चलाने का प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 14.2.2012 में प्रार्थी को लाईसेंस दिया जाना उचित बतायी है। किन्तु जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 8.5.14 को लाईसेंस दिया जाना अनुचित की रिपोर्ट दी, किन्तु कोई कारण अंकित नहीं किया गया। तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा दिनांक 23.9.14 को अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित बताया गया। प्रार्थी द्वारा बार–बार आवेदन पेश करने, समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने तथा रिपोर्टे उसके पक्ष में होने के बावजूद भी उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। पुलिस अधीक्षक की किसी रिपोर्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि उसके पास हथियार रहने से लोक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा हो या शांति भंग का अंदेशा हो। प्रार्थी के विरूद्ध शस्त्र दुरूपयोग का या आर्म्स अधिनियम की धारा 17(3) की उप धाराओं a,b,c,d,e तथा धारा 17 के अन्य प्रावधानों/शर्तो के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साक्ष्य प्रस्तुत करने कोई मौका नहीं दिया है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया है ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने पिताजी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को अपने नाम करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन किया है। लाईसेंस व्यक्तिगत दिया जा रहा है। शस्त्र अनुज्ञा पत्र उतराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 8.5.2014 एवं केन्द्रीय गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 31.3.2010 के अनुसार शर्तें पूर्ण नहीं होने पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे
6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का गहनता सें अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 14.2.12 में आवेदक को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित बताया है, पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 8.5.2014 में बिना किसी कारण के आवेदक को लाईसेंस दिया जाना अनुचित बताया है, इस संबंध में कोई कारण भी नहीं बतलाया गया कि पूर्व में उचित रिपोर्ट को अब इस रिपोर्ट में अनुचित क्यों बताया गया है, मात्र "अनुचित" का अंकन ही किया गया है। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक की उक्त दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी है। जबकि आवेदक के पिता ने और उनकी मृत्युपरान्त उसके शेष वारिसान ने शपथ पत्र में अपीलांट को शस्त्र दिये जाने की सहमति दी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नहीं बताया गया कि अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने से लोक शांति, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा किस प्रकार से है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई और साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी नहीं दिया गया है ।
7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2015 निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

साथ प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये शस्त्र नियम 2016 के अन्तर्गत पुनः पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अपीलान्ट द्वारा वृध्द/मृतक प्रकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे ।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 20.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर